कार्यालय जिला पंचायत विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक/8755/पंचा./जि.पं./2024 विदिशा दिनांक 20/11/2024

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत समस्त
जिला विदिशा

विषयः— विदिशा जिले में ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण हेतु गतिशील स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में होने वाले व्ययों के भुगतान बावत्।

संदर्भः— 1. पचांयतराज संचालनालय म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/पं.रा./एफ—1—2903/2020/10234 दिनांक 08.09.2020.
2. कार्यालय कलेक्टर (भू—अभिलेख) जिला विदिशा का पत्र क्रमांक 2734 दिनांक 28.10.24.

———

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से स्वामित्व योजनांतर्गत आबादी सर्वेक्षण कार्य में लगने वाली प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी हेतु व्यय राशि रू. 7500/— प्रति ग्राम के मान से 14 वें वित आयोग/15 वें वित आयोग एवं राज्य वित आयोग के प्रशासकीय मद से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः संदर्भित पत्रों अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

क्रमांक/8756/जि.पं./2024 विदिशा दिनांक 20/11/2024

प्रतिलिपि :—

1 कलेक्टर (भू—अभिलेख) जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला विदिशा म.प्र.

क/2734/क्यू8/भूअभि/स्वामित्व/2024 विदिशा, दिनांक 28.10.2024

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत विदिशा
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत

विषय :– विदिशा जिले में ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण हेतु गतिशील स्वामित्व योजना के कियान्वयन में होने वाले व्ययों के भुगतान बावत।

संदर्भ :–
1. पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश का पत्र कमांक/पं.रा. / एफ-1-2903/2020/10234 भोपाल दिनांक 08.09.2020
2. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग म.प्र. शासन का पत्र क्रमांक एफ 03–04/2020/सात–6 भोपाल दिनांक 07.07.2020
3. आयुक्त भू–अभिलेख म.प्र. ग्वालियर का पत्र क्रमांक भू.प्र./2020 भोपाल दि. 20.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विदिशा जिले के 1483 ग्रामों में स्वामित्व योजनान्तर्गत आबादी सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

शासन के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें आबादी सर्वे में होने वाले व्यय जैसे चूना, पाउडर, आदि व्यय हेतु प्रति ग्राम एवं आबादी के अभिलेख निर्माण दावे-आपत्तियों की सुनवाई एवं निराकरण तथा संशोधित अभिलेख प्रकाशन बावत् राशि प्रति ग्राम 12500/- के मान से राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को वहन करने का प्रावधान किया गया है। पत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। उपरोक्त राशि का व्यय पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के अनुसार किया जाना है।

अतः संदर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार 14वे वित्त आयोग / 15वे वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के प्रशासकीय मद से उक्त सभी 1483 ग्रामों के पटवारियों को आबादी सर्वे में लगने वाली प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी हेतु राशि 7500/- प्रति ग्राम के मान से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला विदिशा

पृ. क/2735/क्यू8/भूअभि/स्वामित्व/2024 विदिशा, दिनांक 28.10.2024

प्रतिलिपि–

1. संचालक पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त भू–अभिलेख म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त अनुविभागीय अधिकारी जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त तहसीलदार जिला विदिशा की ओर लेख है कि संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद को पटवारियों की सूची उपलब्ध करवाते हुए समन्वय कर भुगतान प्रकिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
जिला विदिशा

स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण वाले ग्रामों की तहसीलवार संख्या

क्र	तहसील का नाम	स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण वाले ग्रामों की संख्या
1	2	3
1	कुरवाई	143
2	पठारी	53
3	बासौदा	170
4	नटेरन	83
5	शमशाबाद	90
6	लटेरी	181
7	विदिशा (ग्रामीण)	183
8	सिरोंज	266
9	विदिशा नगर	37
10	ग्यारसपुर	105
11	गुलाबगंज	74
12	त्योंदा	98
योग		1483

मध्य प्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्रमांकएफ 03-04/2020/सात/शा-6

भोपाल,दिनांक 07/07/2020

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त

समस्त कलेक्टर

मध्य प्रदेश ।

विषय:-ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख के निर्माण के लिये "स्वामित्व" योजना का क्रियान्वयन ।

सन्दर्भ:-राजस्व विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 30.05.2020

विषयांतर्गत राजस्व विभाग के संदर्भित आदेश व्दारा भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिये राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । राजस्व विभाग व्दारा योजना के क्रियान्वयन के लिये तैयार की गई मार्गदर्शिका परिशिष्ट-1 अनुसार संलग्न है ।

2. योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख के निर्माण की कार्यवाही मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959 (संशोधित वर्ष 2018) की धारा 107 (1) (ख) के अंतर्गत की जायेगी ।

(2) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक चरण के कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग व्दारा राजस्व विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से संपादित किये जायेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग व्दारा ड्रोन सर्वे के माध्यम से इमेजरी प्राप्त करने के पूर्व की तैयारी राजस्व विभाग के अमले व्दारा पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से की जायेगी। जिसमें मुख्यत: ग्राम सभा का आयोजन, ग्राम में जागरूकता अभियान, उपलब्ध नक्शों के आधार पर महत्वपूर्ण ग्रामीण संरचनाओं का चिन्हांकन चूना तथा चूना घोल के माध्यम से किया जायेगा । [illegible] स्तर पर इस प्रक्रिया में ₹ 5000/- प्रति गाँव का प्रावधान किया गया है । राशि के वर्गीकरण का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है । उक्त व्यय की पूर्ति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 14 वें वित्त आयोग/15 वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के प्रशासकीय मद से की जायेगी ।

(3) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ राजस्व विभाग व्दारा अनुबंध सम्पादित किया गया है। अनुबंध की शर्तों के अधीन सर्वे ऑफ इण्डिया व्दारा राजस्व विभाग के पास उपलब्ध वर्तमान नक्शों को प्राप्त कर ड्रोन सर्वे हेतु प्रारंभिक तैयारी की जायेगी । सर्वे ऑफ इण्डिया व्दारा ड्रोन उड़ाकर इमेजरी तैयार की जायेगी तथा इमेजरी के आधार पर प्रारूप नक्शा तैयार

किया जाकर राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा । प्रारूप नक्शा को राजस्व विभाग व्दारा दावे/आपत्ति की सुनवाई के पश्चात आवश्यक सुधार हेतु सर्वे ऑफ इण्डिया को दिया जायेगा । सर्वे ऑफ इण्डिया व्दारा उक्त प्राप्त नक्शों में आवश्यक सुधार कर नक्शे पुन: राजस्व विभाग को उपलब्ध कराये जायेगें । सुधार के पश्चात प्राप्त नक्शों तथा अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन राजस्व विभाग व्दारा किया जायेगा । उपर्युक्त कार्यों का संपादन राजस्व विभाग व्दारा अपने विभागीय अमले,सेवा निवृत्त कर्मचारियों तथा आवश्यकता होने पर दैनिक वेतन श्रमिको के माध्यम से कराया जायेगा । ग्रामीण आबादी अभिलेख निर्माण,दावे आपत्ति आमंत्रित करना,आपत्तियों की सुनवाई एवं निराकरण तथा संशोधित अभिलेखों के प्रकाशन आदि हेतु ₹ 7500/- प्रति गॉव का प्रावधान किया गया है । राशि के वर्गीकरण का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है । उक्त व्यय की पूर्ति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 14 वें वित्त आयोग/15 वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के प्रशासकीय मद से की जायेगी ।

(4) स्वामित्व योजना में निहित प्रावधान अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग व्दारा संपादित किये जाने वाले कार्य का भुगतान भारत सरकार व्दारा सीधे भारतीय सर्वेक्षण विभाग को किया जाना है । अत: भारतीय सर्वेक्षण विभाग को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान राज्य सरकार व्दारा नहीं किया जायेगा । अपितु भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कार्य किये जाने में सहयोग के लिये जिला कलेक्टर व्दारा वाहन व्यवस्था, सर्वे टीम के रूकने की व्यवस्था,डिमार्केशन, ड्रोन की उडान के पूर्व क्षेत्र में चूना लाईन डालने के कार्य, ड्रोन उडान के समय सर्वे टीम के साथ राजस्व अधिकारी की नियुक्ति आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगीं । वाहन की व्यवस्था तथा सर्वे टीम के रूकने की व्यवस्था पर होने वाला व्यय भारतीय सर्वेक्षण विभाग व्दारा वहन किया जायेगा ।

(5) योजना का पर्यवेक्षण राज्य/ जिला/तहसील/पंचायत स्तरीय समिति व्दारा किया जायेगा। मार्गदर्शिका में उल्लेखित अनुसार जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय/ग्राम पंचायत स्तरीय समिति का गठन जिला कलेक्टर व्दारा किया जायेगा तथा समिति के कर्त्तव्यों की समीक्षा जिला कलेक्टर व्दारा सतत् रूप से की जायेगी ।

(6) मैदानी स्तर पर कार्य की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मार्गदर्शिका में आवश्यकता अनुसार प्रक्रियात्मक संशोधन किये जाने के लिये राजस्व विभाग को अधिकृत किया गया है । अत: कार्य में किसी भी स्तर पर व्यावहारिक कठिनाई परिलिक्षित होने पर उक्त के संबंध में जिला कलेक्टर व्दारा राजस्व विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रतिवेदन का परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार प्रक्रियात्मक संशोधन राजस्व विभाग व्दारा किया जायेगा।

(7) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक चरण के लिये चयनित 10 जिले- भोपाल,विदिशा,सीहोर,खरगौन,सागर,डिण्डौरी,मुरैना,श्योपुर,हरदा एवं शहडोल के 10553 ग्रामों की सूची भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध करा दी गई है ।योजना का पायलट माह जून,2020 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । उपर्युक्त चयनित 10 जिलों के अतिरिक्त शेष अन्य जिलों में योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 में किया जायेगा ।

3. मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिये कृपया समुचित कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,राजस्व विभाग
भोपाल,दिनांक 07.07.2020

पृ.क्रमांक एफ 03-04/2020/सात-6

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव,मध्य प्रदेश शासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर अंग्रेषित कर अनुरोध है कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व्दारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों तथा योजनांतर्गत होने वाले व्यय के भुगतान के लिये कृपया अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश जारी किये जाने का कष्ट करे ।
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,मुख्यमंत्री कार्यालय
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग
4. आयुक्त,भू-अभिलेख,मध्यप्रदेश
5. निदेशक,भारतीय सर्वेक्षण विभाग,जबलपुर

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,राजस्व विभाग